

31/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 31.12.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्तगण व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना लोहता में पंजीकृत **मु 0सं0अ042/2020 धारा 363/366 आईपीसी व 7/पाक्सो एक्ट 8** से संबंधित अभियुक्त सन्तोष, गोलगड्डा बस स्टैण्ड थाना आदमपुर में खड़ा है, कहीं जाने के लिये बस का इन्तजार कर रहा है, जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके थाना लोहता पुलिस द्वारा मुखबिर को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सन्तोष पुत्र राम किशुन निवासी मंहुजी थाना कंदवा जनपद चन्दौली उम्र वर्ष बताया 25। उक्त व्यक्ति को थाना लोहता पुलिस द्वारा समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

- सन्तोष पुत्र राम किशुन निवासी मंहुजी थाना कंदवा जनपद चन्दौली उम्र वर्ष 25

***पंजीकृत अभियोग का विवरण*-**

- मु/42 0सं0अ02020 धारा 363/366 आईपीसी व 7/पाक्सो एक्ट 8 थाना लोहता वाराणसी

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

उ 0नि0श्याम लाल सरोज, काबीर बहादुर 0 थाना लोहता जनपद वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

31/2020
प्रेस नोट

आज दिनांक 31.12.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्तगण व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना लोहता में पंजीकृत **मु0अ0सं0 137/2020 धारा 323/304/498ए आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट** से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद ईशा, मस्तान बाबा मजार के पास रोहनिया जाने वाली रोड पर खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके थाना लोहता पुलिस द्वारा मुखबिर को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहम्मद ईशा पुत्र स्व0 कल्लू निवासी कन्हई सराय हरपालपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र 38 वर्ष बताया। उक्त व्यक्ति को समय करीब 11.00 बजे थाना लोहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- मोहम्मद ईशा पुत्र स्व0 कल्लू निवासी कन्हई सराय हरपालपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण*-

- मु0अ0सं0 137/2020 धारा 323/304/498ए आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट थाना लोहता वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 अभिषेक कुमार राय व का0 दिवाकर गुप्ता थाना लोहता जनपद वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

31/2020
प्रेस नोट

आज दिनांक 31.12.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-260/2020 धारा-363/366 भादवि व 17/18 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रवि राजभर पुत्र पारस राजभर निवासी जे - 35/43 A- 3 नक्खीघाट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष को लकड़मंडी तिराहा चौकाघाट के पास से समय करीब 05.55 बजे गिरफ्तार कर कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- रवि राजभर पुत्र पारस राजभर निवासी जे - 35/43 A- 3 नक्खीघाट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अतुल कुमार अंजान, हे0का0 विरेन्द्र प्रताप सिंह, का0 अजय प्रताप सिंह, म0का0 कुमारी पूनम थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय
वाराणसी

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 140/2020

दिनांक: दिसम्बर,

31/2020

प्रेस नोट

दिनांक 31-12-2020 को थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 358/2020 धारा 363/366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव कुमार सरोज पुत्र विनय कुमार सरोज निवासी नई बस्ती शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 19 वर्ष व एक महिला अभियुक्ता को कैण्ट बस स्टैण्ड के सामने ओवरब्रिज के नीचे से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- गौरव कुमार सरोज पुत्र विनय कुमार सरोज निवासी नई बस्ती शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 19 वर्ष
- एक महिला अभियुक्ता

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 लवकुश यादव, उ0नि0 राजेश कुमार त्रिपाठी, का0 चन्दन कुमारअजय कुमार 0का , व मपम्मी गौड़ 0का0 थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

31/2020
प्रेस नोट

दिनांक 09.10.2020 को एचडीएफसी बैंक राजातालाब के सामने दो अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई लूट के सम्बन्ध में थाना रोहनिया में पंजीकृत मु.अ.सं. 415/2020 धारा 392 भादवि में आज दिनांक 31.12.2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा सर्विलांस सेल व मुखबिर की सूचना के आधार पर मिलिक कुमार पुत्र लाली यादव निवासी जुराबगंज (मुसापुर) थाना कोढ़ा जनपद कटिहार प्रान्त बिहार को भदवर चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया तथा तीन अभियुक्त भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित 20,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाईल फोन बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मिलिक कुमार पुत्र लाली यादव निवासी जुराबगंज (मुसापुर) थाना कोढ़ा जनपद कटिहार प्रान्त बिहार उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- लूट के 20,000 /- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक अदद की-पैड मोबाईल फोन

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1. राहुल कुमार पुत्र स्व. कन्हैया यादव
2. गोलू कुमार पुत्र स्व० लल्लन यादव
3. अजय कुमार पुत्र राधे यादव

समस्त निवासीगण जुराबगंज (मुसापुर) थाना कोढ़ा जनपद कटिहार प्रान्त बिहार

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ.नि. संतोष यादव चौकी प्रभारी राजातालाब, उ.नि. सचिन कुमार चौकी प्रभारी मातलदेई, उ.नि. मनोज कोरी, हे.का. नरेन्द्र यादव, का. अनिल कुमार सिंह व का. अजय तिवारी थाना रोहनियाँ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल



कार्यालय
वाराणसी

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvn-s-up@nic.in,

Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 141/2020

दिनांक: दिसम्बर,

31/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 31-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *14 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 398 व्यक्तियों से रु0-17,950/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1056 वाहनों का चालान, 14 वाहनों को सीज तथा 163 वाहनों से रु0-1,51,100/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

